UPKN010056352022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) (अत्याचार निवारण) अधिनियम, कानपुर नगर।

सत्र परीक्षण संख्या 920/2022

राज्य बनाम प्रीती अग्निहोत्री

मुकदमा अपराध संख्या 668/2021
धारा 323, 504 506 भारतीय दंड संहिता
धारा 3(1)द व ध अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
थाना नौबस्ता कानपुर नगर।

21.03.2024

1. पत्रावली आज अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रियंका के प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

2. आवेदिका/अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रियंका की ओर से प्रस्तुत वाद में अभियुक्ता को उन्मोचित किये जाने हेतु दिये गये प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

3. आवेदिका/अभियुक्ता की तरफ से प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता को वादिनी ज्योति वर्मा द्वारा रंजिशन झूँठा नामजद किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से घटना दिनांक 01.08.2021 समय 7 बजे सांय की कही जाती है जबकि थाने पर रिपोर्ट दिनांक 12.08.2021 को समय 23.39 पर 11 दिनों बाद अंकित करायी गयी है, देरी का कोई कारण वादिनी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नही कराया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से आवेदिका/अभियुक्ता का घटना कारित करने में कोई भी रोल अथवा ओवर्ट एक्ट नही दर्शाया गया है। सत्यता यह है कि दिनांक 01.08.2021 को मुकदमे की वादिनी ज्योति और उसके परिवारीजनो ने आवेदिका/अभियुक्ता के घर में घुसकर गाली गलौज, मारपीट छेड़छाड़ व अभद्र टिप्पणी आवेदिका/अभियुक्ता के साथ की थी तथा भद्दे भददे कमेन्टस पास किये थे। घटना की सूचना आवेदिका/अभियुक्ता ने थाना नौबस्ता में दी थी जो मुकदमा अपराध संख्या 841/2021 अर्न्तगत धारा 147, 323, 504, 354घ, 452, 294 भा0द0सं0 के

अर्न्तगत अभियुक्तगण वादिनी मुकदमा ज्योति, रिन्कू, विमल, पुष्पा आदि के विरूद्व दर्ज की गयी थी। उपरोक्त मुकदमे में जॉचोपरान्त विवेचक ने ज्योति वर्मा, बेनी प्रसाद वर्मा, पुष्पा वर्मा, आस्था वर्मा, रिन्कू वर्मा, सौरभ वर्मा व विमल वर्मा के विरूद्व अर्न्तगत धारा 147, 323, 504, 452, 294 भा0दं0स0 के अर्न्तगत आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है जो वर्तमान में स्पेशल सी.जे.एम. कानपुर नगर के यहॉ विचाराधीन हैं। मुकदमा अपराध संख्या 841/2021 के प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र की छायाप्रति प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। सत्यता यह है कि आवेदिका/अभियुक्ता के पति रूपेश अग्निहोत्री उर्फ रूपेन्द्र कुमार ब्यू इण्डिया टाइम्स न्यूज मैगजीन के स्वामी/सम्पादक है तथा समय समय पर पत्रकारिता के माध्यम से समाज विरोधी गतिविधियों को बेनकाब कर जनता व अधिकारियों के सामने लाते है जिससे क्षुब्ध होकर रंजिशन वादिनी ने यह झूॅठा मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। मुकदमे की चुटहिल अक्षरा वर्मा को कोई जाहिरा चोट नही पायी गयी थी तथा आडियोग्राफी कराने पर चोटे नही पायी गयी। मुकदमे की घटना किसी भी सार्वजनिक स्थान की नही है। वादिनी ने मुकदमे में रंगत देने के लिए तथा अपनी पेशबन्दी में आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्व रंजिशन हरिजन बनाम सवर्ण का मुकदमा दबाव बनाने के लिए साजिशन पंजीकृत कराया गया है जबकि वादिनी ने स्वयं आवेदिका/अभियुक्ता के घर में घुसकर पति की गैर मौजूदगी में अपराध किया है तथा दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा पंजीकृत करा दिया तथा आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्व कथित अपराध नही बनता है। मुकदमे में वादिनी ने जिन जिन व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी थी उनमे से दौरान विवेचना पति रूपेश अग्निहोत्री उर्फ रूपेन्द्र कुमार व पुत्र रूद्राश उम्र 12 वर्ष के नाम घटना कारित करने मे नही पाये गये थे। आवेदिका/अभियुक्ता एक घ ारेलू महिला है तथा वह अक्सर अकेले घर पर रहकर बच्चों की देखरेख करती है तथा उसके पति पत्रकारिता के कार्य से अक्सर बाहर रहते है। उपरोक्त आधारों पर आवेदिका/अभियुक्ता को प्रस्तुत अभियोग से उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी है।

4. विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादिनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्ता द्वारा प्रथम द्रष्टया अपराध कारित किया जाना साबित है। अभियुक्ता के विरूद्व प्रथम द्रष्टया साक्ष्य पाते हुए तलब किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियुक्ता को दोषसिद्व किया जा सकता है यां नही, आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर देखने की आवश्यकता नही है। न्यायालय को इस स्तर पर यह देखना है कि क्या अभियुक्ता के विरूद्व कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है यां नही। धारा 228 द.प्र.स. के अर्न्तगत प्रावधान किया गया है कि यह उपधारणा करने का अधिकार है

कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है और अपराध अन्ततः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो अभियुक्त के विरूद्व आरोप विरचित किया जाना चाहिए। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्ता के विरूद्व उपधारणा करने का पर्याप्त आधार हैं कि अभियुक्ता ने ऐसा अपराध कारित किया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र बलहीन है। ऐसी स्थिति में अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

5. वादिनी ज्योति वर्मा की ओर से अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रियंका के प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 दंड प्रकिया संहिता के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित घटना को अन्जाम दिया गया है, अभियुक्ता के उक्त कृत्य में ओम उर्फ रूद्रांश अग्निहोत्री एवं रूपेश अग्निहोत्री ने पूर्ण सहयोग किया था तथा प्रीती अग्निहोत्री की भी पूर्णरूप से सहभागिता थी। वादिनी द्वारा दिनांक 01.08.2021 को अभियुक्ता एवं उसके परिजनों द्वारा घटना कारित करने के पश्चात थाना नौबस्ता कानपुर नगर में तत्काल प्रार्थनापत्र दिया था परन्तु थाना नौबस्ता कानपुर नगर के पुलिस अधिकारियों द्वारा अक्षरा वर्मा का मेडिकल परीक्षण दिनांक 07.08.2021 को मा0 कांशीराम चिकित्सालय व दिनांक 09.08.2021 को उर्सला अस्पताल में कराने के उपरांत दिनांक 12.08.2021 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस द्वारा जानबूझकर विलम्ब किया गया क्योंकि पति रूपेश एक पत्रकार है जिसका थाने में उठना बैठना है एवं थाने पर अच्छा प्रभाव है। अभियुक्ता द्वारा दिनांक 01.08.2021 को घटित घटना में पूर्ण सहभागिता की गयी थी तथा घटना को कारित करने में अहम भूमिका निभाई थी जिसके घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया गया उस घर में रहने वाले अरविन्द शर्मा इस घटना के गवाह है तथा इस घटना के बाद के अन्य व्यक्ति जो गवाह है उनके साथ में पति रूपेश एवं उनके भाई आकाश अग्निहोत्री, प्रतीक अग्निहोत्री के द्वारा मारपीट तथा गाली गलौज की गयी जिस पर इनके ऊपर प्रतिभा गुप्ता ने मुकदमा दर्ज कराया जो विचाराधीन है। दिनांक 01.08.2021 की घटना के संदर्भ में मुकदमा अपराध संख्या 841/2021 धारा 147,323,504,504(घ), 452, 294 भा0द0स0 थाना नौबस्ता की पुलिस द्वारा सांठ–गांठ करके दिनांक 26.09.2021 को दर्ज किया गया। अभियुक्ता द्वारा दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत तथ्यों पर आधारित है। अभियुक्ता का पति रूपेश अग्निहोत्री और भाई प्रतीक, आकाश दबंग व्यक्ति हैं तथा आपराधिक पृष्ठभूमि के है। पुलिस द्वारा अक्षरा वर्मा का चिकित्सीय परीक्षण एक सप्ताह बाद कराया गया उक्त समय तक अक्षरा वर्मा ने अपना इलाज करा लिया था। अक्षरा वर्मा द्वारा दिनांक 04.08.2021 को कांशीराम चिकित्सालय में अपना इलाज कराया था जिसकी छायाप्रति संलग्न है। अभियुक्ता ने अपने परिजनों

के साथ मिलकर सार्वजनिक स्थान पर दिनांक 01.08.2021 को घटना को अंजाम दिया गया है जिसके सी.सी.टी.वी. फुटेज उपलब्ध है। उक्त लोगो द्वारा अपने प्रभाव का प्रयोग करके पुलिस द्वारा अनुचित लाभ लेते हुए उनके नामों का विलोपन किया गया है। अभियुक्ता एवं उसके परिजन आपराधिक व्यक्ति है तथा इनका क्षेत्र मे भय व्याप्त है। इनके द्वारा क्षेत्रीय व्यक्तियों से अक्सर मारपीट की जाती है जिसके डर से गली के तीन परिवार पलायन कर चुके है। अभियुक्ता ने घ ाटना कारित की है। अतः अभियुक्ता के विरूद्व आरोप विरचित किये जाने की याचना की गयी है।

6. वादिनी ज्योति वर्मा ने थाना नौबस्ता में तहरीर देकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि वादिनी के घर के लगभग पास में ही एक पत्रकार रूपेश अग्निहोत्री रहते है। उनका एक बेटा ओम अग्निहोत्री उम्र 13 वर्ष का बहुत ज्यादा उदंड हैं यह लड़का ओम अग्निहोत्री अपने बाप रूपेश अग्निहोत्री के पत्रकार होने के दम पर पिछले काफी समय से वादिनी की भांजी अक्षरा वर्मा उम्र 12 वर्ष (यानि की मेरी विकलांग 90 प्रतिशत बड़ी बहन की बेटी) जो कि वादिनी के साथ रहती है उसे हर समय गली मे निकलने पर परेशान करता है, गंदे गंदे शब्द बोलता है जब साइकिल चलाता है स्कूटी चलाता है तो वादिनी की भांजी जब बाहर जाती है तो उसके पीछे तेजी से चलाकर वादिनी की भांजी अक्षरा को दौड़ाता है जब वादिनी ओम अग्निहोत्री की शिकायत उनके पिता से की तो उन्होने वादिनी को जातिसूचक से सम्बोधन करते हुये कहा कि तुम लोगो को यहॉ से भगा देंगे और मकान बिकवा देगे (जातिसूचक में उन्होने भंगी चमार) का प्रयोग किया और धमकी दी कि वह वादिनी की भांजी के ऊपर तेजाब डलवा देगा और भांजी को घर से उठवा देगे और पूरे घर के हर सदस्य से नाक रगड़वायेगे और जूते मरवायेगे। आज दिनांक 01.08.2021 की शाम के 7.00 बजे के लगभग घर के पास की एक परचून की दुकान पर जब वादिनी की भांजी कुछ सामान लेने गयी जब वह सामान लेकर घर आ रही थी तो उसने उसकी भांजी को मारने के लिए दौड़ाया फिर वादिनी की भांजी को पकड़ लिया तथा वादिनी के भांजी के बॉये कान में घ ूसे ही घूसे मारे जिस समय ओम मारपीट कर रहा था वहॉ पर ओम की प्रीती अग्निहोत्री खड़ी थी और अपने बेटे को सह दे रही थी। भांजी के कान में दर्द हो रहा है।

7. उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदिका/अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री नामजद अभियुक्ता है। विवेचना के दौरान वादिनी मुकदमा ज्योति द्वारा अपने धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के बयान में अभियोग का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया गया है और कथन किये गये है कि घ ाटना दिनाक 01.08.2021 को शाम करीब सात बजे अक्षरा पास में ही परचून की

दुकान से सामान लेकर वापस आ रही थी तो रास्ते में ओम ने वादिनी की भांजी को मारने के लिए दौड़ाया। भांजी को पकड़ लिया और वादिनी की भांजी के कान में घूसे मारे जिस समय ओम मार रहा था उस समय वहॉ पर ओम की मॉ प्रीती अग्निहोत्री खड़ी थी और अपने बेटे को शय दे रही थी। विवेचना के दौरान घटना की पीड़िता अक्षरा वर्मा द्वारा धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अर्न्तगत बयान दिया गया है कि ओम अग्निहोत्री जब भी गवाह घर से बाहर निकलती है साइकिल या स्कूटी चलाने लगता है जिससे गवाह डर जाए एक बार साइकिल गवाह के पैर मे चढ़ा दी जिससे गवाह के पैर का नाखून उखड़ गया। जब भी गवाह दुकान पर जाती है धक्का देता है गवाह की चोटी पकड़कर खींचता है कपड़े खींचता है पानी में मिट्टी घोलकर ऊपर डाल देता है। उसकी मॉ से कहो तो वह खड़ी होकर करवाती है। उसको मना भी नही किया जाता है, गाली देता है कहता है कि ज्यादा चिल्लाओगी तो तेजाब डलवा देगें। खींचवा लेंगे कुछ नही कर पाओगी। दिनांक 01.08.2021 को दुकान पर सामान लेने जा रही थी, साइकिल से दौड़ाया जब गवाह सामान लेकर वापस घर आ रही थी तो उसे पकड़कर कान में घूसे मारे, गवाह ने ओम की मम्मी से शिकायत किया तो उसकी मम्मी ने खड़ी होकर घ ूसों से मरवाया। इस प्रकार घटना की पीड़िता अक्षरा वर्मा द्वारा ओम की मम्मी अभियुक्त प्रीती अग्नहोत्री का घटनाक्रम में सम्मिलित होने का स्पष्ट साक्ष्य दिया गया है। इसी अनुक्रम में पीड़िता के मामा विमल वर्मा द्वारा भी विवेचना के दौरान अभियोग का समर्थन करते हुए साक्ष्य दिया गया है। विवेचक द्वारा घटना के नक्शानजरी में घटनास्थल 'X' स्थान मेनरोड का प्रर्दशित किया है जो स्थान एक लोक दृष्टि मे आने वाला स्थान है। वादिनी ज्योति वर्मा अनुसूचित जाति कोरी की महिला है, इसका प्रमाणपत्र भी विवेचक द्वारा केस डायरी में संलग्न किया गया है। न्यायालय विवेचक के इस निष्कर्ष से बाध्य नही है कि अभियोग में नामित अन्य अभियुक्तगण रूपेश अग्निहोत्री एवं ओम अग्निहोत्री द्वारा कोई अपराध करना नही पाया गया। प्रस्तुत अभियोग में प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रियंका द्वारा पीड़िता अक्षरा वर्मा के साथ हुयी घटना में सक्रिय भूमिका निभायी जानी प्रतीत होती है। इसी परिपेक्ष्य में **State of Gujrat vs Dilipsinh Kishorsinh Rao Decided on 09.10.2023 Criminal Appeal No. 2504 of 2023** की विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्णीत किया गया है कि आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर प्रारिम्भक परीक्षण यह है कि क्या प्रथम द्रष्टया वाद बनता है, इस स्तर पर अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के संभावित मूल्य को नही देखा जाना चाहिए। आरोप विरचित किये जाने के स्तर पर जब अभियुक्त द्वारा उन्मोचित किये जाने की याचना की गयी तो उस स्तर पर अभियुक्त की प्रतिरक्षा को नही देखा जा सकता।

8. प्रकरण में विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादिनी मुकदमा ज्योति वर्मा एवं पीड़िता अक्षरा वर्मा का जो साक्ष्य लेखबद्व किया गया है एवं अन्य अभिलेखों से आरोप विरचित किये जाने के इस स्तर पर पत्रावली में ऐसा पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है जिससे अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रियंका द्वारा प्रथम द्रष्टया अपराध कारित किया जाना प्रतीत होता है। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री उर्फ प्रिंयंका द्वारा उसे प्रस्तुत अभियोग से उनमोचित किये जाने हेतु दिया गया प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 द्रंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किये जाने योग्य है, तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

आवेदिका/अभियुक्ता प्रीती अग्निहोत्री की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 227 दंड प्रक्रिया संहिता निरस्त किया जाता है।

पत्रावली वास्ते आरोप दिनांक 10.04.2024 पेश हो।

दिनांक 21.03.2024

(विकास गोयल)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम
कानपुर नगर।

Digitally signed by Vikas Goyal
Date: 2024.03.21 16:12:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court